

उभय पक्षों के बीच देण्डों की धरा 144 के
अन्तर्गत कर अमलख सं० 9/2017 के माध्यम से
कार्रवाई चल रही थी। जिसपर अंतिम रूप से
दिनांक 9.9.2017 को आदेश पारित किया गया।
तदनुसारत बाग प्रभारी बसिया द्वारा किसी प्रकार
का विवाद संबंधी कोई प्रतिवेदन अबतक
अप्रप्त है। उभय पक्ष निरंतर स्वयं एवं अपने
अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित
होते हैं। इसी शिष्टा में इस वाद की
कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अनुमंडल सहायिका
शमिया (गुमना)